न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
40 / 2018	FSS ACT	04.07.2018	19.2.2024

1. नरेश कुमार चेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1. श्री बबलू सिंह लोधा पुत्र बृजमोहन लोधा (मौके पर विक्रेता एवं मालिक) जाति लोधा निवासी मिर्जापुर, गंगापुर सिटी मैसर्स गणेश किराना स्टोर, सूर सागर, गंगापुर सिटी

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 19.02.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 21.2.2017 को लगभग 03:30 पीएम पर मैसर्स गणेश किराना स्टोर, सूर सागर, गंगापुर सिटी पहुँचा। वहां पर बबलू सिंह लोधा पुत्र श्री बृजमोहन लोधा जाति लोधा निवासी सूर सागर, गंगापुर सिटी उपस्थित था, को मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, एवं मेरे द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन की प्रति मौके पर प्रस्तुत की। विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ मसाले, दाले, आटा, नमकीन, तेल आदि के सबस्टैण्डर्ड व मिलावटी होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0–5अ की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ मसूर की दाल वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 160 रूपये नकदी चुका कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है, उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ मसूर की दाल 02 किलोग्राम को प्लास्टिक के चार जारों में बराबर भरकर अच्छी तहर बंद किया तथा 04 लेवल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेवल चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–2 मोटे खाकी कागज में लपेट कर चिपका कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच–1127 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर चिपकाकर प्रत्येक भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये गये जिस पर विक्रेता बबलू सिंह लोधा ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं0 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिससे नमूना सील किया एक नूमना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो आवेदन के साथ संलग्न है।

दो सील बंद नूमना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/685 दिनांक 09.03.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2017/59 दिनांक 02.03.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मसूर की दाल सबस्टैण्डर्ड (**sub-standard**) पाया गया है। जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मेरे द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक एफएसएसए/2017/685 दिनांक 09.03.2017 की पालना में श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/2705 दिनांक 12.07.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड (**sub-standard**) खाद्य वस्तु पदार्थ मसूर की दाल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 3 (1)(ZX) का उल्लधन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त 29.7.2019 को न्यायालय में स्वंय उपस्थित होकर प्रकरण का जबाब पेश करने का समय चाहा।

अभियुक्तग को कई अवसर दिए जाने के बाद भी न तो व स्वंय न्यायालय में उपस्थित हुआ और ना ही अपना जबाव पेश किया। अभिुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस एक पक्षीय सुनी गयी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड (**sub-standard**) खाद्य वस्तु पदार्थ मसूर की दाल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 3 (1)(ZX) का उल्लधन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक आर्थिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमारे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली की आदेशिका के अनुसार अभियुक्त इस न्यायालय में प्रथम बार 29.07.2019 को हाजिर हुआ। उसके पश्चात अभियुक्त ना तो न्यायालय में उपस्थित हुआ और ना ही उसके द्वारा अपने पक्ष में कोई लिखित जबाव पेश किया गया। हमारे द्वारा पत्रावली में संलग्न FOOD SAFTY AND STANDARDS LABORATORY कोटा की REPORT OF THE FOOD ANALYSED क्रमांक 59/FSSL/KOTA/Act/2017/59 दिनांक 02.03.2017 का भी अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

"**Opinion**- The sample of "**MASUR DAL (LOOSE)** Code No. **H-1127 of Designated officer come the chief madical and Health officer, Sawai madhopur is sub-standard as it does not meet to the prescribed Standards And provisions of Food Saftey and Standards (Food Products Standard and Food Additive) Regulations 2011. Sample is Sub-Standard under Section** 3(1)(ZX) **AS PER FSS ACT 2006 RULE REGULATIONS 2011"**

उक्त रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य पदार्थ मसूर दाल का सेम्पल SERIAL NO. H-1127 **[Sub-Standard]** पाया गया है।

अभियुक्त द्वारा सब–स्टैण्डर्ड **[Sub-Standard]** प्रकृति की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। अभियुक्त द्वारा अपने समर्थन में कोई जवाव एवं स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किया है। अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अभियुक्त को 10000/–(अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि में जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
19/02/24
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी